बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक ग्रा0वि0-6-बजट/05-02/2017 पटना, दिनांक

सेवा में ,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय : - **मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष- 2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-112 -इंजिनियरी/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0106 -डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट, विपत्र कोड 42- 2203001120106 राज्य स्कीम के अंतर्गत विकास प्रबंधन संस्थान के लिए आवश्यक 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक कुल 62 पदों की सृथापना एवं अन्य व्यय हेतु वित्तीय वर्ष- 2017-18 में सहायक अनुदान मद में बजट उपबंधित राशि रू0 5000.00 लाख (पचास करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेश:- स्वीकृत ।

2. देश एवं विशेष कर बिहार राज्य में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इस निमित्त विभागीय ज्ञापांक 177366 दिनांक 13.02.2014 द्वारा राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान (Development Management Institute) की स्थापना की स्वीकृति संसूचित की गई है । संस्थान का उपयोग विकास कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी किया जायेगा। आने वाले समय में ऐसे प्रशिक्षणों की [redacted] लाइवलीहुड मिशन' (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) के लिये भी होगी । संस्थान का मुख्य पाठ्यक्रम संस्थान के उद्देश्यों से संबंधित विषयों में 'स्नातकोत्तर डिप्लोमा' (PGDM) होगा ।

3. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक-194657 दिनांक 30.07.2014 द्वारा विकास प्रबंधन संस्थान के लिए आवश्यक 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक कुल 62 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस संस्थान की स्थापना एवं अन्य व्यय पर वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक कुल 316 करोड़ रूपये का व्यय सम्भावित है । वितीय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमश: रू0 2000.00लाख (बीस करोड़), रू0 2600.00लाख (छब्बीस करोड़), रू0 2808.50 लाख (अठाईस करोड़ आठ लाख पचास हजार) का बजट उपबंध किया गया था ।

4. वित्तीय वर्ष- 2017-18 में राज्य स्कीम के अंतर्गत इन पदों की स्थापना एवं अन्य मदों पर होने वाले व्यय के लिए रू0 5000.00 लाख (पचास करोड़) का योजना उद्व्यय है एवं समतुल्य राशि का बजट उपबंध है ।

5. राज्य स्कीम के अंतर्गत विकास प्रबंधन संस्थान के 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक पदों का वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय एवं अन्य व्यय हेतु उपबंधित राशि रू0 5000.00 लाख (पचास करोड़) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या मे0 01/आर0 02/2007-602 दिनांक 20.03.2007 की कंडिका-4 एवं 7 एवं वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम. 4-53/2007-2199 दिनांक 24.03.2017 की कंडिका-4 एवं 7 में निर्धारित प्रावधानों के आलोक में प्रशासी विभाग सक्षम है । अतएव आय व्ययक उपबंधित राशि रू0 5000.00 लाख (पचास करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नरूप से प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रु0 में)

क्र0 स0	विषय शीर्ष	बजट उपबंधित	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	31 04 सहायक अनुदान- वेतन	500.00	500.00
2	31 05 सहायक अनुदान- परिसम्पतियों के निर्माण	500.00	500.00
3	31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा	4000.00	4000.00
	कुल :-	5000.00 लाख (पचास करोड़)	5000.00 लाख (पचास करोड़)

6. स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष- 2203 - तकनीकी शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-112 -इंजिनियरी/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0106 -डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट, विपत्र कोड 42-2203001120106 राज्य स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।

7. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि की निकासी कर Development Management institute Society के बैंक खाते में जमा कर देंगे । निदेशक, DMI इस राशि का व्यय करेंगे तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों/ परिपत्रों के निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जाएगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. प्रस्ताव में प्रशासी विभाग का अनुमोदन संचिका स0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-02/2017 के पृष्ठ 8/टि0 पर दिनांक 13.06.2017 को प्राप्त है ।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-02/2017 के पृष्ठ 9/टि0 पर दिनांक 16.06.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक ____________________ पटना, दिनांक ____________________

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक [illegible] पटना, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखा शाखा/ आई0टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव